प्र० 10–सं०सं०–10/नीति नि०–07–02/2024.....624..... राँची, दिनांक–.....04.02.25

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

परिपत्र

विषय :– राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग किये जाने निमित्त दिशा–निदेश के संबंध में।

ऐसा देखा जा रहा है कि हाल के वर्षो में सोशल मीडिया, यथा Facebook, X, You tube, Whatsapp, Instagram, Wechat, Sharechat, Linkedin आदि संचार एवं सूचनाओं के प्रसारण का एक शक्तिशाली एवं प्रभावकारी माध्यम बन गया है। इसका प्रयोग शिक्षा, व्यापार, सामाजिक संपर्कता को बढ़ावा देने के साथ साथ वर्तमान घटनाओं से परिचित रहने के लिए भी किया जा रहा हैं। सोशल मीडिया जन सामान्य को दूसरे लोगो के साथ संपर्क स्थापित करने, अपने विचारों को व्यक्त करने, अपनी राय को दूसरों के साथ साझा करने तथा अन्य विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का भी अवसर प्रदान करता है।

2. जन सामान्य के अतिरिक्त राज्य के सरकारी सेवकों के द्वारा भी सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है, परन्तु वे सोशल मीडिया पर उसी सीमा तक अपने विचारों को व्यक्त कर सकते है जिस सीमा तक सरकार द्वारा उसे आपतिजनक नहीं माना जाए। समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते है, जिसमें सरकारी सेवकों के द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे तथ्यों को साझा कर दिया जाता है, जो उन्हे नहीं करना चाहिए था।

3. विदित हो कि सरकारी सेवको के आचार को विनियमित करने हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली गठित है, जिसके नियम 3(1) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि सरकारी सेवक पूरी शीलनिष्ठ रखेगा, कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा एवं ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

आचार नियमावली के नियम–6 एवं 10 के अनुसार कोई सरकारी सेवक किसी भी राजनीतिक दल का अथवा राजनीति में भाग लेने वाले संघटक का न तो सदस्य होगा, न उससे सहयुक्त होगा और न किसी राजनीतिक आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा न उसके सहायतार्थ चंदा देगा या किसी दूसरे ढंग से उसकी सहायता करेगा और न ही किसी रेडियो प्रसारण में अथवा गुमनाम या छद्मनाम से या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित लेख में या समाचार पत्र को प्रेषित पत्रादि में अथवा किसी सार्वजनिक कथन में अपना विचार व्यक्त करेगा।

4. राज्य के सरकारी सेवकों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किये जाने, उनके पेशेवर रूख को बनाये रखने, संवेदनशील एवं गोपनीय सरकारी सूचनाओं के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने तथा उन्हे जिम्मेवार सरकारी सेवक बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत किये जायें।

5. झारखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों के द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग किये जाने के निमित्त दिशा–निर्देश निर्धारित करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों के लिए निम्नांकित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते है:–

(I) **पेशेवर आचरण (Professional Conduct)**:–

(i) सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर अपने विचारों को साझा करते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वे सरकारी सेवक आचार नियमावली से शासित है एवं वे अपने विचारों को साझा करते समय अपनी शीलनिष्ठा को बनाये रखेंगे।

(ii) सोशल मीडिया पर मर्यादा को बनाये रखते हुए सभ्य व्यवहार प्रदर्शित करेंगे और ऐसे पोस्ट साझा करने से बचेंगे जिसे आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण एवं राजनीतिक रूप से पक्षपात पूर्ण माना जा सकता है।

(iii) किसी राजनीतिक/धर्मनिरपेक्षता विरोधी/सांप्रदायिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करेंगे और न ही उसे Subscribe करते हुए अपने पोस्ट, ट्वीट ब्लॉग आदि के माध्यम से उसका समर्थन करेंगे।

(iv) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी व्यक्तिगत राय सरकारी कत्तव्यों में हस्तक्षेप न करे और न ही सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करे।

(v) किसी पोस्ट, ट्वीट आदि के माध्यम से सरकार द्वारा अपनायी गई किसी नीति या कार्रवाई पर चर्चा/आलोचना नही करेंगे और न ही सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाओं में भाग लेंगे।

(vi) कार्यालय अवधि में अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत अकाउंट का प्रयोग नहीं करेंगे।

(II) **नैतिक मानक (Ethical Standard) :–**

(i) राज्य के सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर आपराधिक, अनैतिक एवं अपमानजनक आचरणों या वैसे कृत् जो सरकार की छवि को धूमिल करती हो, में शामिल नहीं होंगे। साथ ही अपने सहकर्मी या व्यक्तियों के बारे में ऐसा पोस्ट साझा नहीं करेंगे जो अभद्र, अश्लील या धमकी भरा हो और जो सरकारी सेवक आचरण नियमों का उल्लंघन करता हो।

(ii) सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर किसी भी उन्मादी गतिविधियों में शामिल नही होंगे और न ही अपने आश्रितों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरूद्ध हो।

(iii) सोशल मीडिया अकाउंट के किसी भी पोस्ट में किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंग, व्यवसाय, क्षेत्र, राज्य आदि के संबंध में कोई भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं करेंगे।

(III) **पद का दुरूपयोग (Misuse of Post)**

(i) सोशल मीडिया पर किसी उत्पाद या उद्यम का समर्थन नहीं करेंगे और न ही अपने संबंधी/मित्रों या स्वयं के निजी लाभ के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करेंगे।

(ii) सोशल मीडिया पर तथाकथित मुफ्त विज्ञापित वस्तुओं या प्रतियोगिताओं, जो वास्तव में घोटाले की प्रकृति के होते हैं या मैलवेयर फैला सकते हैं या लोगों के संवेदनशील सूचनाओं को अपने प्रोफ़ाइल पर साझा कर धोखा दे सकते हैं, को साझा करने में शामिल नहीं होंगे।

(iii) अपने कार्य स्थल से संबंधित शिकायतों को विडियो/फोटो के रूप में पोस्ट, ट्वीट ब्लॉग या किसी अन्य रूप में सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेंगे बल्कि मामले को उचित प्राधिकार के समक्ष रखेंगे।

(IV) **गोपनीयता (Confidentiality):-**

(i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यालय/विभाग के कार्यों से संबंधित किसी भी संवेदनशील/गोपनीय सरकारी सूचनाओं को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा नहीं करेंगे।

(ii) ऐसी कोई सूचना साझा नहीं करेंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता एवं सरकार के हितों से समझौता कर सकती है।

(V) **राजनीतिक क्रियाकलाप (Poltical Activity)**

(i) अपने पोस्ट, ट्वीट या ब्लॉग आदि के माध्यम से किसी भी राजनीतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे और न ही सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिज्ञ का समर्थन करेंगे।

(ii) सोशल मीडिया पर सभ्य व्यवहार का प्रयोग करते हुए Trolling से अपने आप को दूर रखेंगे। साथ ही अपने अकाउंट का उपयोग इस तरह नहीं करेंगे, जिससे यह समझा जा सकता है कि उसकी गतिविधियाँ सरकार का समर्थन/विरोध करती हो।

(iii) सरकारी सेवक अपने सोशल मीडिया अकाउंट के डी०पी०/प्रोफाईल पिक्चर पर किसी भी संगठन या राजनीतिक दल आदि से संबंधित प्रतीक नहीं लगायेंगे।

(VI) **सरकारी एवं व्यक्तिगत खाता (Official & Personal Accounts)**

(i) व्यक्तिगत एवं सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट/फोरम के बीच स्पष्ट रूप से अंतर रखेंगे। सरकारी अकाउंट का उपयोग केवल सरकारी नीतियों, घोषणाओं एवं सार्वजनिक सूचनाओं के प्रसार के लिए किया जाएगा एवं व्यक्तिगत अकाउंट के किसी भी फॉरमेट में विभागीय जानकारियाँ साझा नहीं की जायेगी।

(ii) सरकारी अकाउंट का उपयोग करते समय अपनी पहचान एवं भूमिका के बारे में पारदर्शी रहेंगे एवं साझा की गयी सामग्री के बारे में उत्तरदायी रहेंगे।

(iii) निविदा/नियुक्ति/चयन प्रक्रिया से संबंधित सूचना तथा विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के सम्पर्क नम्बर, पदनाम, कार्य क्षेत्र संबंधी सूचना एवं कार्यालय की समयावधि आदि से संबंधित सूचना व्यक्तिगत अकाउंट पर साझा नहीं करेंगे।

(iv) विभागीय आदेश, अधिसूचना, संकल्प आदि व्यक्तिगत अकाउंट पर साझा नहीं करेंगे।

(v) सोशल नेटवर्किंग साईट पर निजी अकाउंट बनाने के लिए सरकारी अकाउंट का प्रयोग नहीं करेंगे।

(vi) सरकारी Platform पर निजी तस्वीर साझा नहीं करेंगे।

(VII) <u>अन्यान्य</u>

(i) यदि सरकारी सेवक के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है, तो उसकी सूचना अपने नियुक्ति प्राधिकार को देते हुए उसकी अनुमति प्राप्त करेंगे।

(ii) सोशल मीडिया पर माननीय न्यायालयों द्वारा पारित किसी भी आदेश/दिशा निर्देश के संबंध में ऐसा कोई भी पोस्ट साझा नहीं करेंगे, जिससे माननीय न्यायालय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो।

(iii) सरकारी सेवक कार्य अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, वेबीनार आदि में आमंत्रित किये जाने एवं उसमें भाग लेने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचित कर अनुमति प्राप्त कर लेंगे।

(iv) व्यक्तिगत अकाउंट पर Followers, मित्रों का चयन या मित्रता अनुरोध स्वीकार करने में सर्तकता बरतेंगे। चयन के समय अनुरोध करने वाले की पहचान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही अनुरोध को स्वीकार करेंगे।

(v) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाईन पोल/वोटिंग में भाग नहीं लेगे और न ही इस संबंध में कोई टिप्पणी करेंगे।

(vi) आपातकालीन स्थितियों में संवाद स्थापित करने अथवा सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग प्रभावी ढंग से करेंगे।

राज्य के सभी सरकारी सेवक एक सामान्य नागरिक के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग तथा उस पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति का प्रयोग सरकारी सेवक आचार नियमावली एवं उपर्युक्त शर्त्तों के अधीन करेंगे। उक्त शर्त्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी।

उपर्युक्त निदेशों को अपने अधीनस्थों के बीच प्रचारित करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
01/02/25
(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/नीति०नि०–07–02/2024 का०– 624 राँची, दिनांक:– 04.02.25

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हॉफ (HoFF)/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/02/25
सरकार के सचिव।